अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मोती कंवर v/s रामकिशन

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2024/221 श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका श्री हसनखान	

21.10.24

मोती कंवर बनाम रामकिशन वगैरह (2024 / 221)

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बावत निवेदन किया साबिक खसरा नम्बर 750 के अपीलांटस पूर्वजों के समय से काविज खातेदार काश्तकार है। विवादित भूमि के दोनो तरफ लगते हुए अपीलांटस एवं अपीलांटस के परिवारजन की है एवं जिसमें विवादित भूमि एकजाई होकर शामिल है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा साबिक खसरा नम्बर 750 से खसरा नम्बर 1212 को गलत रूप से सरकारी खाते में अंकित कर दिया एवं रेस्पोडेन्टस के नाम गैर खातेदारी अंकित कर दी जबकि उक्त भूमि पर उक्त रेस्पोडेन्टस संख्या 3 से 06 एवं 01 व 02 का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं था और न ही आज है। इन सब तथ्यों को नजरअंदाज कर मूल वाद के विचाराधीन रहते यथास्थिति के आदेश को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की हद तक समाप्त करने का जो आदेश पारित किया है। वह विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित है। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 25.07.2024 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित नहीं किया गया तो उक्त आदेश की आड में विवादित खसरा नम्बर 2318 / 1212 पर अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि में दखलअंदाजी कर वेदखल कर लडाई झगडा करेगा जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमेवाजी में उलझना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2024 की पालना व प्रभाव को स्थगित कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाव / वहस स्थगन प्रार्थना पत्र बावत कथन किया कि विवादित आराजीयात 2318 / 1212 रेस्पोडेन्ट की खरीदशुदा आराजी होकर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से जवाव प्रस्तुत कर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन इसी स्तर पर खारिज किया जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने समर्थन में आर0एल0डब्लू0 1995(2) (राज) पेज संख्या 528, आर0आर0टी0 2018(2) पेज 1275, 2021(2) आर0आर0टी0 पेज संख्या 1238 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई वहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2024 की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात तथा न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट द्वारा एक वाद प्रस्तुत किया गया तथा वाद के साथ एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। दिनांक 09.11.2022 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर आगामी पेशी दिनांक 07.12.2022 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 10.04.2023 को प्रार्थी / अपीलांट को दिनांक एकपक्षीय सुनकर विवादित आराजी के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात दिनांक 10.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 08 की ओर से श्री पंकज गादिया एडवोकेट ने वकालतनामा मय

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अ...

2 21/2024/221 मिलीबेक v/s रामकिशन

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	2024/221 श्री P.J. नकवा श्री हसन खान-1

लगातार

जवाब पेश किया तथा तारिख पेशी दिनांक 02.11.2023 नियत की गई। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय में तारिख पेशी क्रमशः 02.11.2023, 25.01.2024, 02.05.2024 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 25.07.2024 को अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2023 की पालना किये जाने का निवेदन कर प्रकरण में बहस सुनी जाकर अप्रार्थी संख्या 08 के पक्ष में बेचान होना अंकित कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 2318/1212 की हद तक स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तलवी हेतु विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट तथा रेस्पोडेन्टस के मध्य सद्भाविक कृषि भूमि संबंधी वाद विद्यमान है, जिसमें अपीलांट के हक अधिकार तय होने है, किन्तु वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद बाहुल्यता को रोकने एवं वाद ग्रस्त आराजीयात को वाद के विचाराधीन रहते हुए संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार वह वादग्रस्त आराजीयात का जरिये पंजीकृत बेचाननामा रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है, जिसमें उभयपक्ष के हक अधिकार तय होंगे। यदि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजीयात के खुर्द बुर्द, हस्तांतरण होने की संभावना बनी रहती है उसमें वादग्रस्त आराजीयात का सुरक्षित रखा जाना न्यायालय का दायित्व है। दिनांक 25.07.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 2318/1212 को स्थगन मुक्त कर दिया गया जिससे विचाराधीन वाद में बाहुल्यता बढने एवं विवादित आराजी के हस्तान्तरण की संभावना प्रबल है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्ययता को मध्यनजर रखते हुए हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थीगण की शीघ्र तलवी पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस आदेश से दो माह में करें।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम (अस्थायी निषेधाज्ञा) में अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस पूर्ण कर, उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल भूत तीनो बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का विस्तृत रूप से उल्लेख कर प्रार्थना पत्र का दो माह में गुणावगुण पर आवश्यक रूप से निस्तारित करें तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अंकित वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का अंतिम निस्तारण किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner